



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19012023-242079
CG-DL-W-19012023-242079

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 01] नई दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2023, शनिवार/ पौष 18—पौष 24, 1944
No. 01] NEW DELHI, JANUARY 8—JANUARY 14, 2023, SATURDAY/ PAUSHA 18—PAUSHA 24, 1944

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 1.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स में (समूह 'ग' योद्धक पद) भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उसका संबंध हवलदार (साधारण ड्यूटी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लाप किया गया है, असम राइफल्स में हवलदार (साधारण ड्यूटी) के समूह 'ग' के योद्धक पद पर भर्ती पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स, हवलदार (सामान्य ड्यूटी) अराजकीय, अनन्यसिद्धि समूह 'ग' योद्धक पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता— इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी वे व्यक्ति, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती चिकित्सा परिषद के लिए गृह मंत्रालय की तारीख 20 मई, 2015 के मार्गदर्शन सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट और गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी अतिरिक्त अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा प्रवर्ग श्रेण-1 में है, इन नियमों के उपबंधों के अधिनियुक्त के लिए पात्र होंगे।

6. अधिवर्षिता—इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक ऐसे व्यक्ति उस माह के अंतिम तारीख को जिसमें वह साठ वर्ष के अपराहन या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरा कर लेता है सेवानिवृत्त होगा।

परन्तु एक व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष की आयु पूरी करने वाले पूर्ववर्ती मास की अंतिम तारीख के अपराहन में सेवानिवृत्त होगा:

परन्तु यह और कि किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त की विहिन आयु से परे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

7. निर्वचन— यदि इन नियमों के निर्वचन संबंधी कोई प्रश्न उठता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जो उसका विनिश्चय करेगी।

8. शिथिल करने की शक्ति— जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

9. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अचयन भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
हवलदार (जनरल ड्युटी)	10388*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स (25500—81100/— रुपये) में स्तर —4	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा की गई भर्ती की दशा में, जिस ग्रेड से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति गठित होती है तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
असम राइफल्स के ऐसे सदस्यों में से पदोन्नति जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर -3 (रुपये 21700-69100) में राइफलमैन/राइफलवुमैन (जनरल ड्यूटी) के रैंक धारण किए हुए हैं, जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएँ हो:- (क) राइफलमैन/राइफलवुमैन (जनरल ड्यूटी) की श्रेणी में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा। (ख) चिकित्सा प्रवर्ग शेष-1 (ग) प्रमोशन कैडर पास (घ) मैप रीडिंग द्वितीय स्तर पास (ङ) टैक्नीकल ट्रेड परीक्षा पास टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले कही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	'ग' समूह विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. बटालियन कमांडेंट — अध्यक्ष 2. सेकण्ड-इन-कमांड — सदस्य 3. बटालियन का मेजर या— सदस्य डिप्टी कमांडेंट	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12011/आरआरएस/हवलदार (जनरल ड्यूटी)/2021/पी-II/एसओ(एआर)]

ललित कपूर, उप सचिव (पर्स-II)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th September, 2022

G.S.R. 1.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), and in supersession of the Assam Rifles (Group 'C' combatised posts) Recruitment Rules, 2000, in so far as it relates to the post of Havildar (General Duty), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' combatised post of Havildar (General Duty) in the Assam Rifles, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Assam Rifles, Havildar (General Duty), Non-Gazetted, Non-Ministerial Group 'C' Combatised post Recruitment (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the afore said schedule.

4. **Disqualification.**— No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Medical Fitness.**—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Ministry of Home Affairs guidelines for recruitment Medical Examination in Central Armed Police Forces and Assam Rifles dated the 20th May, 2015 and further instructions issued by Ministry of Home Affairs from time to time, shall be eligible for appointment under the provisions of these rules.

6. **Superannuation.**—Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he or she attains the age of sixty years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that a person whose date of birth is on the first day of the month shall retire from service in the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of sixty years:

Provided further that no person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

7. **Interpretation.**— If any question relating to the interpretation of these rules arises it shall be referred to the Central Government who shall decide the same.

8. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Havildar (General Duty).	10388* (2022) * subject to variation depending on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level - 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion from amongst members of Assam Rifles holding the rank of Rifleman/Riflewomen (General Duty), in level-3 (Rs. 21700-69000) in the pay matrix, who have possessed following qualifications,- (a) Minimum five years of service in the grade of Rifleman/Riflewomen (General Duty); (b) Medical Category in SHAPE-I; (c) Passed Promotion Cadre; (d) Passed Map Reading Standard Two; (e) Passed Technical Trade Test Two. Note : Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher level alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Commandant of Battalion – Chairman; 2. Second-in-Command – Member; 3. One Major or Deputy Commandant of the Battalion – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12011/RRs/Hav(GD)/2021/P-II/SO(AR)]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2022

सा.का.नि. 2.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उप-धारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, असम राइफल्स में वारंट ऑफिसर (बीजलेख) समूह 'ग' योद्धक पदों पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स, वारंट ऑफिसर (बीजलेख) समूह 'ग' योद्धक पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इसमें सलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निर्हरता.**— वह व्यक्ति: —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकृत विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी

5. **चिकित्सक दृष्टिया योग्यता**—दृष्टिया योग्यता केन्द्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए गृह मंत्रालय द्वारा भर्ती चिकित्सा परीक्षण के लिए जारी मार्गदर्शन सिद्धांत और बाद में उस पर संशोधन के अनुसार एक समान होगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत, आदेश द्वारा शिथिल की जा सकती है।

7. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वारंट ऑफिसर (बीजलेख)	701* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -5 (रु. 29,200 - 92,300/-)	लागू नहीं होता।	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पिति जिले तथा चंबा जिला के पांगी उप खंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति - भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) शैक्षिक अर्हता: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रु0 25500-81100) में बल के हवलदार (ऑपरेटर रेडियो और

और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 'रेडियो और टेलीविजन या 'इलेक्ट्रॉनिक्स में दो वर्ष का प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र या (ii) इलेक्ट्रॉनिक्स या सूचना प्रौद्योगिकी में बेचलर डिग्री। (ख) शारीरिक और चिकित्सा मानक: केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित योजना और बाद में उस पर संशोधन के अनुसार शारीरिक और चिकित्सा मानक। (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर इस संबंध में यथाविहित लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हित करना अनिवार्य है।			लाइन) में से जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा करने वालों से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा। टिप्पण: (i) पांच प्रतिशत रिक्तियां महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी, जिसके न हो सकने पर पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। (ii) दस प्रतिशत भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
--	--	--	---

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई भर्ती की दशा में, श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति गठित होती है, तो उसकी संरचना	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा वेतन मैट्रिक्स के स्तर -4 (रू0 25500-81100) में बल के ऐसे इच्छुक हवलदार (ऑपरटर रेडियो और लाइन) जिन्होंने पांच वर्ष की सेवा की हो और जिनके पास निम्नलिखित अहर्ताएँ हों:- (i) मैप रीडिंग स्टैंडर्ड-1 (ii) साइफर क्लास -III (iii) एन काडर (iv) शेप-1 भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिक और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के ऐसे कार्मिक, जिनके पास अनुसूची के स्तम्भ (7) में विहित यदा विहित अनुभव और अहर्ताएँ हों। सेवा में ब्रेक दो वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और चिकित्सा प्रवर्ग शेप-1 होनी चाहिए।	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. ब्रिगेडियर (कार्मिक), असम राइफल्स - अध्यक्ष 2. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स - सदस्य 3. लेफ्टिनेंट कर्नल, [स्टाफ ऑफिसर -1 (प्रशासन)], असम राइफल्स - सदस्य 4. असम राइफल्स के ऐसे दो अधिकारी जो नायब सूबेदार रैंक के नीचे का ना हो - सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/कार्मिक/आर आर/समूह ग/डब्ल्यूओ(बीजलेख)/2021]

ललित कपूर, उप सचिव (पर्स-II)

New Delhi, the 22nd September, 2022

G.S.R. 2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Warrant Officer (Cipher) Group 'C' combatised posts in the Assam Rifles namely :-

- Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Assam Rifles Warrant Officer (Cipher) Group 'C' Combatised Posts Recruitment Rules, 2022.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the pay level in the pay matrix.**— The number of posts, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the above said Schedule.
4. **Disqualification.** — No person, —
 - (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;
 shall be eligible for appointment to the said posts :
 Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Medical Fitness.**— Medical fitness shall be as per uniform guidelines for recruitment in the Central Armed Forces and Assam Rifles issued by the Ministry of Home Affairs and subsequent amendment thereon.
6. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
7. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and the other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Warrant Officer (Cipher).	701*(2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non-Ministerial (Combatised).	Level-5, (Rs. 29,200-92300/-) in the pay matrix.	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(6)	(7)
Between 18 to 25 years, (relaxable by five years for Government servants or the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe and by three years for other Backward Classes in accordance with instructions or orders issued by the Central government. Note 1: The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Island, Ladakh and Lakshadweep.	(a) Education qualification: (i) 12th standard pass or equivalent from a recognised board or Institution and two years Industrial Training Institute certificate in 'Radio and Television' or 'Electronics' from a recognised Institute ; or (ii) Bachelors' Degree in Electronics or Information Technology. (b) Physical and Medical standard: Physical and Medical Standard as per the scheme prescribed by the Central Government and subsequent amendments thereon. (c) Must qualify the written test and physical efficiency test as prescribed by the Central Government in this regard from time to time.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Two years.	By direct recruitment failing which by Limited Departmental Competitive Examination from Havildar Operation Radio and Line in the Force in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix with five years of regular service. Note: (i) five percent vacancies shall be reserved for female candidate, failing which to be filled by the Male candidates. (ii) Ten percent reserved for Ex-servicemen, failing which to be filled by direct recruitment.	<u>Limited Departmental Competitive Examination</u> Willing Havildar Operator Radio and Line of the Force in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in the pay matrix with five years of service and having following qualifications: (i) Map Reading Standard -I (ii) Cipher Class-III (iii) N Cadre. (iv) SHAPE-I <u>Re-employment of Ex-Servicemen</u> The Armed Forces Personnel and Central Armed Police Forces personnel, who have the requisite experience and qualifications as prescribed in column (7) of Schedule. Break in service should not be more than two years and Medical Category should be SHAPE-1.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : 1. Brigadier (Personnel), Assam Rifles – Chairman; 2. Colonel (Records), Assam Rifles – Member; 3. Lieutenant Colonel, {Staff Officer-1 (Administration)}, Assam Rifles – Member; 4. Two officer of Assam Rifles not below the rank of Junior Commissioned Officer – Member.	Not applicable.

[F. No. A/Pers/RR/GP C/WO (Cipher)/2021]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 3.—केन्द्रीय सरकार, असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 की उपधारा (2) के खंड (क) और खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन असम राइफल्स, (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक) समूह 'ग' योधक पद पर भर्ती पद्धति के विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स, (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक) समूह 'ग' योद्धक पद भर्ती नियम, 2022 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन.— ये नियम इन नियमों में संशोधित अनुसूची के स्तम्भ (1) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा इसमें सलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा और अर्हताएं आदि.— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति : —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकृत विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. चिकित्सा उपयुक्तता.—इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए भी, सिर्फ वे व्यक्ति जो गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में भर्ती के लिए उल्लेखित दिशा-निर्देश तारीख 20-05-2015 एवं समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आगे के निर्देश के प्रावधानों के अधीन चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I में हैं, वे ही नियुक्ति या प्रोन्नति के पात्र होंगे।

7. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल की जा सकती है।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु सीमा	सीधे भर्ती के लिए शैक्षिक आर अन्य योग्यताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1. हवलदार (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक)	12* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' (अराजपत्रित) अनुसचिवीय (योद्धक)।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -4 (रु० 25,500 - 81,100/-)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की प्रणाली – सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा की गई भर्ती की दशा में, जिस ग्रेड से प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	क. 50 प्रतिशत प्रोन्नत द्वारा ख. 50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नत: असम राइफल्स के सदस्य जो राइफलमैन (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक) स्तर-3 (रू0 21700-69100/-) के श्रेणी में पाँच वर्षों की नियमित सेवा के साथ निम्नलिखित योग्यताएं रखते हैं, अर्थात:- क. चिकित्सा प्रवर्ग शेष-I ख. मानचित्र बोध द्वितीय स्तर ग. प्रोन्नत काडर (एन काडर) टिप्पण. जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली हैं अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति. हवलदार (इलैक्ट्रीकल मैकेनिकल इंजीनियर) के पद पर नियमित आधार पर सेना के अधिकारी। टिप्पण 1. पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3. प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति गठित होती है तो उसकी संरचना।	किन परिस्थितियों में भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ग' के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स — अध्यक्ष 2. लेफ्टिनेंट कर्नल {स्टाफ ऑफिसर -1 (प्रशासन)}, असम राइफल्स — सदस्य 3. एक तकनीकी योग्यता प्राप्त अधिकारी जो लेफ्टिनेंट कर्नल की श्रेणी से नीचे का हो — सदस्य 4. असम राइफल्स के ब्रिगेडियर (कार्मिक) द्वारा चयनिर्दिष्ट कोई कनिष्ठ कमीशंड अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. राइफलमैन (रिकवरी व्हीकल मैकेनिक)	12* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	समूह 'ग' (अराजपत्रित) अनुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -3 (रु. 21,700 - 69,100/-)	लागू नहीं होता।	आयु 18 से 25 वर्ष (विभागीय अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा चालीस वर्ष तक होगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार छूट होगी। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मनीपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिला के पांगी उप खंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

7
1. शैक्षिक अर्हताएँ— मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं पास एवं रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में आई टी आई प्रमाण-पत्र या रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर में योग्यता। 2. शारीरिक मानक: (i) ऊंचाई : न्यूनतम 170 सेंटीमीटर; (ii) सीना: न्यूनतम 80 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीना विस्तार (फुलाना), और (iii) वजन: चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और उम्र के समानुपाती। (क) जनजातीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को ऊंचाई और छाती में निम्नानुसार शिथिल की जा सकती है:- (i) गढ़वाली कुमाऊनी, डोगरा, मराठी के प्रवर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होगी।

- (ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होगी।

(टिप्पण) अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर होगी।

- (iii) छाती में शिथिल निम्नलिखित श्रेणी के लिए लागू होगी:

(अ) उपर निर्दिष्ट पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों की न्यूनतम छाती 78 सेंटीमीटर बिना फुलाएं (न्यूनतम 5 सेंटीमीटर विस्तार) होगी;

(ब) सभी राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों की अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम छाती 76 सेंटीमीटर बिना फुलाएं (न्यूनतम 5 सेंटीमीटर विस्तार) होगी; और

(स) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम छाती 77 सेंटीमीटर बिना फुलाएं (न्यूनतम 5 सेंटीमीटर विस्तार) होगी

3. चिकित्सा मानक: समय-समय पर गृह मंत्रालय द्वारा जारी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कर्मी के लिए भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए संशोधित समान मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार होगी।

4. अभ्यर्थी को निर्दिष्ट लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा अवश्य पास करना है।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल डी सी ई) के माध्यम से।	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एल डी सी ई) के माध्यम से चयनित राइफलमैन की अर्हताएं निम्नवत होगी जैसे— क. शैक्षिक अर्हताएं— मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 10वीं पास एवं रिकवरी व्हीकल मैकेनिक में आई टी आई प्रमाण-पत्र या रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर में योग्यता। ख. चिकित्सा श्रेणी शेप-I ग. अच्छा सेवा अभिलेख हो घ. ऊपरी आयु सीमा 35 होगी भूतपूर्व सैनिक: सशस्त्र सेनाओं के कार्मिक जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें एक वर्ष की अवधि के अन्दर रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और निर्धारित योग्यताएं हैं उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर दिया जाएगा जिस तारीख को वे सशस्त्र बलों से रिहा होने हैं। उसके बाद उन्हें पुनर्नियोजन पर जारी रखा जा सकता है।

(12)	(13)
समूह 'ग' के लिए विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. कर्नल (अभिलेख), असम राइफल्स — अध्यक्ष 2. लेफ्टिनेंट कर्नल {स्टाफ ऑफिसर -1 (प्रशासन)}, असम राइफल्स — सदस्य 3. एक तकनीकी योग्यता प्राप्त अधिकारी जा लेफ्टिनेंट कर्नल की श्रेणी से नीचे का हो — सदस्य 4. असम राइफल्स के ब्रिगेडियर (कार्मिक) द्वारा चयनिर्दिष्ट कोई कनिष्ठ कमीशंड अधिकारी — सदस्य	लागू नहीं होता।

New Delhi, the 18th November, 2022

G.S.R. 3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (b) of sub-section (2) of section 165 of the Assam Rifles Act, 2006 (47 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' Combatised post (Recovery Vehicle Mechanic) in Assam Rifles under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Assam Rifles (Recovery Vehicle Mechanic), Group 'C' Combatised Posts Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**— These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule amended to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**— The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.**— No person, —

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Medical Fitness.**—Medical fitness shall be as per revised uniform guidelines for recruitment medical examination for recruitment in the Central Armed Police Forces and Assam Rifles issued by Ministry of Home Affairs.

7. **Power to relax.**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Havildar (Recovery Vehicle Mechanic).	12* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	Group 'C' (Non Gazetted, Non-Ministerial, Combatised).	Level- 4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Selection post.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 50 per-cent. by promotion; (ii) 50 per-cent. by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Members of Assam Rifles holding the rank of Riflemen (Recovery Vehicle Mechanic) in Level 3 (Rs. 21700- 69100) with five years' regular service in the grade and possessing the following qualifications, namely:- (i) Medical category must be SHAPE-1. (ii) Map Reading Standard Two; (iii) Promotion cadre (N cadre). Note : where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation: Officers of the Army holding the rank of Havildar (Electrical Mechanical Engineers) on regular basis. Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2: The period of deputation including the period of deputation in another ex cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	Group 'C', Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Colonel (Records), Assam Rifles –Chairperson; 2. Lieutenant Colonel {Staff Officer 1 (Administration)} , Assam Rifles – Member ; 3. One Technical qualified Officer below of the rank of Lieutenant Colonel, Assam Rifles – Member; 4. Any Junior Commissioned Officer nominated by Brigadier (Personnel) of Assam Rifles– Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Rifleman (Recovery Vehicle Mechanic).	12* (2022) *(Subject to variation dependent on workload).	Group 'C' (Non Gazetted, Non-Ministerial, Combatised)	Level -3 (Rs. 21700- 69100) in the pay matrix.	Not applicable.	Between 18 and 25 years. (The upper age-limit shall be relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

					Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Union Territory of Ladakh, Union Territory of Andaman and Nicobar Islands and Union Territory of Lakshadweep.
--	--	--	--	--	---

(7)	(8)	(9)	(10)
(1) Educational qualifications- 10th class pass and Industrial Training Institute (ITI) certificate in Recovery Vehicle Mechanic or Recovery Vehicle Operator from recognised Board or University. (2) Physical standard: (i) Height : minimum 170 centimeters; (ii) Chest: minimum 80 centimeters (unexpanded) and minimum 5 centimeters expansion; and (iii) Weight: according to age and height; (a) Relaxation for tribes and people belonging to hilly areas shall be permissible in height and chest as follows:- (i) the minimum height of candidates falling in the category of Garhwalis, Kumaonis, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Assam, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Himachal Pradesh and Union Territory of Kashmir, Ladakh and Jammu state shall be 165 centimeters. (ii) the minimum height for all Schedule Tribe candidates hailing from the North - Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura and Left Wing Extremism affected districts shall be 160 centimeters. Note: The minimum height for all other candidates belonging to the scheduled tribes shall be 162.5 centimeters; (iii) relaxation in chest shall be applicable for the following category:- (a) candidates belonging to the hilly areas specified as above shall be minimum 78 centimeters unexpanded (with minimum 5 centimeters expansion); (b) for the scheduled tribes of all States or Union Territories shall be 76 unexpanded (with minimum 5 centimeters expansion); and (c) the minimum chest of candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Gorkha Territorial Administration shall be 77 centimeters unexpanded (with minimum 5 centimeters expansion). 3. Medical Standard As per revised uniform guidelines for recruitment medical examination for recruitment in the Central Armed Police Forces and Assam Rifles issued by Ministry of Home Affairs time to time. 4. The candidates must qualify the physical efficiency and written tests.	Not applicable.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment failing which by selection through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).

(11)	(12)	(13)
By selection through Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) from amongst Rifleman and possessing following qualifications, namely:- (a) educational qualifications-10th class pass and Industrial Training Institute certificate in Recovery vehicle mechanic or equivalent qualification in Recovery Vehicle Operator from recognized Board or University; (b) shall be in the medical category 'SHAPE-1; (c) shall have good record of service; (d) upper age-limit shall be 35 years. Ex-servicemen: The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of - 1. Colonel (Records), Assam Rifles –Chairperson; 2. Lieutenant Colonel {Staff Officer 1 (Documentation & Coord)} , Assam Rifles – Member ; 3. One Technical qualified Officer below of the rank of Lieutenant Colonel, Assam Rifles – Member; 4. Any Junior Commissioned Officer nominated by Brigadier (Personnel) of Assam Rifles – Member.	Not applicable.

[F. No. A/Pers/RRs/Rec VM/ GP C Comb/2014/]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 4.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदारवल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में प्रयोगशाला परिचर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, प्रयोगशाला परिचर भर्ती नियम, 2022 है।

(ii) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर— पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है ; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला परिचर ।	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-‘ग’ अराजपत्रित ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 1 (रु. 18,000. 56,900 /—)	लागू नहीं होता ।	18-25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में शिथिल करके चाली वर्ष तक की है ।) टिप्पण 1 —आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी, न कि वो अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र के लिए विहित की गई है । टिप्पण 2 —रोजगार कार्यालय के अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालय से नाम जमा करने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और आयु-सीमा, प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति की प्रतिशतता ।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट या 10+2 ।	लागू नहीं होता ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

वांछनीय : (i) किसी सरकारी संस्था या सरकार से मान्यताप्राप्त संस्था से जुड़ी अधिमानत विज्ञान प्रयोगशाला में काम करने का अनुभव । (ii) कंप्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान ।			
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं तो उसको संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं या राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में के ऐसे अधिकारी ; (क) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन की शैक्षणिक अर्हताएं हैं । टिप्पण 1—प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2—प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	समूह 'ग' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे : — (i) उप निदेशक —अध्यक्ष (ii) सहायक निदेशक —सदस्य (iii) प्रशासनिक अधिकारी (ग्रेड -II या ग्रेड -III) —सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23011/48/2018—पुलिस ट्रेनिंग]

रमण कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 6th January, 2023

G.S.R. 4.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Attendant in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad under the Ministry of Home Affairs, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.—The method of recruitment age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
- shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**6. Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, the ex-servicemen and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the pay matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Laboratory Attendant.	01* (2022) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted.	Level 1 (Rs. 18000-56,900) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications for direct recruits.	Whether educational qualification and age-limit prescribed for direct recruits will apply to the case of promotees.
(5)	(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Between 18-25 years (The upper age-limit is relaxable for departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for these in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himanchal Pradesh, Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Union territory of Ladakh and Union territory of Lakshadweep. Note 2. The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential: Intermediate or 10+2 with Science as one of the subjects from a recognised Board or University. Desirable: (i) Experience of working in a Science laboratory preferably attached with a Government Institution or Government recognised Institution. (ii) Working knowledge of computers.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitments or by promotion/deputation and percentage of the vacancy to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion/deputation absorption grades from which promotion/deputation absorption to be made.
(9)	(10)	(11)
Two years for direct recruits.	By deputation failing which by direct recruitment.	Deputation: Officials from amongst Central Forensic Science Laboratories or State Forensic Science Laboratories ; (a) holding analogous post on a regular basis in the present cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications under column (7). Note 1: The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note-2: The upper age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

If departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
12)	(13)
Group 'C' Departmental <i>Confirmation</i> Committee (for considering Confirmation) consisting of:- (i) Deputy Director - Chairman; (ii) Assistant Director - Member; (iii) Administrative Officer (Gde-II or Grade-III) - Member.	Not applicable.

[F. No. 23011/48/2018-Police Trg.]

RAMAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2023

सा.का.नि. 5.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पुस्तकालयाध्यक्ष) भर्ती नियम, 1981 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (पुस्तकालय और सूचना अधिकारी) भर्ती नियम, 2023 है।

(ख) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर — पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** — उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता** — वह व्यक्ति —
 (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
 (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,
 उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति** — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति** — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
पुस्तकालय और सूचना अधिकारी ।	01* (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर— 11 (67700. 08700 /—रु.) ।	चयन पद ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	02 वर्ष ।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।	प्रोन्नति द्वारा— वेतन मैट्रिक्स के स्तर—7(44900.142200/- रु.) में ऐसे सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी जिन्होंने नौ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त

			विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री हो। टिप्पण 1: वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 (44900-142200. रु.) में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत व्यक्तियों की पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर 7 वर्ष की रहेगी। टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)– केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र या स्वशासी या कानूनी संगठन या मान्यता प्राप्त अनुसंधान और शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500/-रु.) में या समतुल्य में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800/-रु.) या समतुल्य में 7 वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (iv) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रु. 47600-151100/-रु.) में या समतुल्य में 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो, या (v) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (रु. 44900-142400/-रु.) में या समतुल्य में 9 वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जो निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हो – आवश्यक– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान के पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री;
--	--	--	---

		(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में 5 वर्ष का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय— (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्वाशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अधीन पुस्तकालय में पुस्तकालय संबंधी क्रियाकलापों का कंप्यूटर पर कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव। (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा। टिप्पण 1: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत, अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं तो उसकी संरचना।		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे — 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी — सदस्य ; 3. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी — सदस्य । विभागीय पुष्टिसमिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे — 1. संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी — अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी — सदस्य ; 3. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी —सदस्य ।		संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. 23011/32/2018—पुलिस ट्रेनिंग]

रमन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, 12th January, 2023

G.S.R. 5.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Librarian) Recruitment Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Officer in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy under the Ministry of Home Affairs, namely : -

1. **Short title and commencement .-** (a) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Library and Information Officer) Group'A' post Recruitment Rules, 2022.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and pay level in the pay matrix. -** The number of post, its classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in Columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

4. **Power to Relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

5. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay Matrix.
(1)	(2)	(3)	(4)
Library and Information Officer.	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.

Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Selection post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By promotion, failing which by deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
By promotion:- Assistant Library and Information Officer with nine years regular service in level-7 (Rs.44900-142200) in the pay matrix and possessing Bachelors Degree in Library science or Library and Information Science from recognised University or Institute. Note1: The eligibility service shall continue to be seven years for persons holding the post of Assistant Library and Information Officer in level-7 (Rs 44900-142400) in the pay matrix on regular basis on the date of notification of these rules. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. By deputation (including short term contract): Officers under the Central Governments or State Governments or Union Territory or Autonomous or Statutory Organisation or Recognized Research and Educational Institution or University or Public Sector Undertaking:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-10 (Rs 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years regular service in level-9 (Rs 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iv) with eight years regular service in level-8 (Rs 47600-151100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (v) with nine years regular service in level-7 (Rs 44900-142400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and	Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy–Member; 3. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy- Member. Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Chairman; 2. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy – Member; 3. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(b) possessing the following qualifications and experience: Essential (i) Master Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) Five years professional experience in Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised Research or Educational Institution. Desirable: (i) One year's experience of computerising Library activities in a Library under Central Government or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or recognised Research or Educational Institution. (ii) Diploma in Computer Application from a recognised University or Institute. Note 1:- The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 2 : Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age-limit for appointment by Deputation (including short term contract) shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.		
---	--	--

[F. No. 23011/32/2018-Police Training]

RAMAN KUMAR, Under Secy.